



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26062023-246809
CG-DL-E-26062023-246809

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 441]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 26, 2023/आषाढ़ 5, 1945

No. 441]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 26, 2023/ASHADHA 5, 1945

भारतीय मानक ब्यूरो
(उपभोक्ता मामले विभाग)
शुद्धिपत्र
नई दिल्ली, 20 जून, 2023

संदर्भ: HQ-PUB-BIS (631):—भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा भारत के राजपत्र में नीचे दिए गए सन्दर्भों में भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारत के राजपत्र भाग III, खंड 4 में भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचनाओं में निम्नलिखित संशोधन करता है:

1) संदर्भ: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (589) दिनांक 12 मई 2023 (प्रकाशित दिनांक 15 मई 2023)

आई एस 12540 : 1988 के वापस होने की तिथि, अनुसूची के क्रम संख्या 18, कॉलम (5) में — '12 जून 2023' को '12 दिसम्बर 2023' से प्रतिस्थापित करें।

पी राजेश, वैज्ञानिक एफ एवं उपमहानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी, टी एन एम)
[विज्ञापन-III/4/असा./222/2023-24]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Department of Consumer Affairs)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 20th June, 2023

Ref: HQ-PUB-BIS (631):—Bureau of Indian Standards hereby makes the following AMENDMENT to the NOTIFICATION of Government of India under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) in Part III, Section 4 of the Gazette of India in pursuance of sub-rule (1) of Rule 15 of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018.

1) Extraordinary vide **HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (589) dated 12 May 2023** (Published on 15 May 2023)

Sl No. 18, column (5) of the schedule notifying withdrawal of IS 12540 : 1988 — Substitute '12 December 2023' for '12 June 2023'.

P. RAJESH, Scientist F & DDG (ITS, PRT & TNM)

[ADVT.-III/4/Exty./222/2023-24]